COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(50)

**श्री**

## न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

प्रकरण क्रमांक – /2017 पुनःरीक्षण

|निगरानी|उज्जैन|भू०रा०|2017|1909

ईश्वरलाल पिता धन्नालाल आयु 44 वर्ष जाति माली धंधा कृषि निवासी ग्राम पलवा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

......आवेदक

**विरुद्ध**

जगदीश पिता धन्नालाल आयु 30 वर्ष जाति माली धंधा कृषि निवासी ग्राम पलवा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

.....अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 27.6.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 27.6.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

**पुनःरीक्षण आवेदन पत्र 50 भू.रा.सं. न्यायालय अपर तहसीलदार महोदय, बड़नगर द्वारा प्रकरण कमांक 248 अ6/2015–16 मे पारित प्रोसेडिंग आदेश दिनांक 15.05.2017 से क्षुब्ध होकर**

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

PBR/निग/उज्जैन/भू.रा./2017/1909
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1909/17 [इकबाल/जगदीश] जिला उज्जैन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11–7–2017 | आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 15–5–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के निराकरण तक तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित रखी जाये, परन्तु व्यवहार न्यायालय से किसी प्रकार का कोई स्थगन व्यवहार न्यायालय से प्राप्त प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिये प्रचलित कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है, जो कि प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>अध्यक्ष | |